18.08.2019 (File no.2208/18)

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के महाप्रबंधक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशिरंजन, उपस्थित हुए।

प्रस्तुत मामला परिवादी राजाराम सिंह की पुत्री पूनम देवी के नाम से गया स्थित आवास बोर्ड के भू–खंड के आवंटन हेतु जमा किये गये Earnest Money का सूद समेत वापस लोटाने से संबंधित है। आवास बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 20. 11.1999 को परिवादी की पुत्री द्वारा जमा अग्रिम राशि (2900/–रूपये) पर नियमानुसार आवास बोर्ड, भू–खंड ना देने के स्थिति में, 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, साधारण ब्याज जोड़कर अग्रिम राशि को लौटाने का प्रावधान है। परिवादी उक्त के आलोक में मई 2019 तक 5728 रूपया वापस पाने का अधिकारी है, जिसके लिए उसे नियमानुसार विहित Indemnity Bond व शपथ पत्र आवास बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा। आवास बोर्ड की ओर से Indemnity Bond तथा शपथ पत्र का विहित प्रारूप की प्रति भी आयोग मे दाखिल की गई है।

आज पारित आदेष के साथ आवास बोर्ड द्वारा दाखिल प्रतिवेदन व उक्त के साथ संलग्न प्रारूपों की प्रति (पृष्ठ 40–35/प0), सलंग्न कर, तद्नुसार कार्रवाई करने के संबंध में परिवादी को सूचित करते हुए प्रस्तुत मामले को आयोग के स्तर से बंद किया जाता है।

आज पारित आदेश की प्रति को बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भी भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>